पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में स्टेशनरी क्रय करने हेतु निविदा सूचना

ई–बिड पत्रांकः–3 / 601 / 2018–3 / 64 / प्रिट / 2018,

लखनऊ:: दिनांक 17 सितम्बर, 2018

ई–टेण्डर वेबसाईट– https://etender.up.nic.in

तालिका

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	ई–निविदा प्रकाशन की तिथि	19–09–2018	10:00 AM
2.	ई–निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	19–09–2018	11:00 AM
3.	ई–निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	09–10–2018	12:00 PM
4.	तकनीकी ई–निविदा खुलने की तिथि	09–10–2018	04:00 PM
5.	वित्तीय ई–निविदा खुलने की तिथि	बाद में सूचित किया जाना है।	

नोटः–

ई–निविदा खुलने का स्थानः– कक्ष संख्या–204, ई–6, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ–226024 ।

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान,
लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
संख्या–3/601 /2018–3/64/प्रिट/2018
लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2018

–:निविदा–सूचना:–

"पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान" अर्थात प्रिट पंचायतीराज प्लाट नं0–6 सेक्टर–ई लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग किये जाने वाली स्टेशनरी (पेन, बैग, डायरी आदि) तथा प्रयुक्त होने वाली लेखन सामग्री क्रय किये जाने हेतु जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थानीय फर्म/विक्रेताओं से दिनांक 09–10–2018 को 12:00 बजे दोपहर तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन टू बिड सिस्टम (तकनीकि बिड एवं वित्तीय बिड) प्रणाली पर ई–टेण्डर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये निविदायें उक्त तिथि को ही उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष अपरान्ह 4:00 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी:–

1. निविदा प्रस्तुत कर्ताओं को प्रिट के लिये क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री व अन्य सामग्रिया (जिनकी दरें प्राप्त की जानी है।) की सूची बी0ओ0क्यू0 (बिल आफ क्वान्टिटी) में वार्णित है। एक वर्ष मे लगभग रू0–40,00,000/–की सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सम्पूर्ण सामग्री एक साथ क्रय न किये जाते हुए आवश्यकतानुसार समय–समय पर क्रय की जायेगी। क्रय की गई वास्तविक सामग्री की धनराशि कम या अधिक हो सकती है।
2. निविदा दाता को धरोहर राशि के रूप में रू0 80,000/– आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से केनरा बैंक, अलीगंज, लखनऊ के खाता संख्या:–4962132000008 आई0एफ0एस0सी0 कोड–CNRB0004962 में जमा होगी। असफल निविदादाताओं द्वारा जमा धरोहर राशि निविदा खुलने के दिनांक के पश्चात वापस प्राप्त की जा सकेगी।
3. सामग्री की आपूर्ति, आदेश प्राप्त होने के अधिकतम 24 घण्टे के भीतर करनी होगी। आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर ही फर्म को भुगतान देय होगा।
4. निविदा 'प्रिट' के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा आपसी सामंजस्य तथा कार्यो के संतोषपूर्ण सम्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष हेतु इन्ही शर्तो एवं दरों पर नवीनीकृत की जा सकेगी। कार्यों के संतोषजनक सम्पादन न होने की स्थिति में एग्रीमेन्ट की अवधि एक वर्ष के पूर्व भी 07 दिन का नोटिस देकर निविदा समाप्त की जा सकेगी।
5. किसी फर्म द्वारा एक ही सामग्री की आपूर्ति हेतु एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत किये जाने की दशा में निविदा दाता की किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

7. निविदा कर्ताओं को अपने निविदा प्रपत्र के साथ अपनी संस्था के पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि "परफार्मेन्स गारण्टी" के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि में सम्मिलित होगी। यदि सफल निविदाकर्ता कार्यादेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस की समय–सीमा में परफार्मेन्स गारण्टी एवं धरोहर राशि के अन्तर की धनराशि विभाग में जमा नही करता है या निर्गत कार्यादेश व अनुबंध में वर्णित समय–सीमा एवं शर्तों के अनुरुप कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो संस्था की धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी, यदि विभाग द्वारा राशि जमा करने की समय–सीमा में कोई छूट प्रदान करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। तय समय सीमा के अन्तर्गत उक्तानुसार न्यूनतम निविदादाता संस्था द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को कार्य आबंटित करने हेतु 'प्रिट' स्वतंत्र होगा।
9. निविदा, टेंडर खुलने की दिनांक से 90 दिनों हेतु मान्य होगी।
10. कुल निविदा धनराशि में न्यूनतम पाई गई संस्था को अन्य संस्थाओं द्वारा मदवार दी गई न्यूनतम धनराशि के अनुसार निगोसियेशन के पश्चात कार्य आवंटन किया जायेगा। यदि दो या अधिक संस्थाओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो निगोसियेशन अथवा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था के कार्य अनुभव व पूर्व में किये गये समान प्रकृति के कार्यों के सफल निष्पादन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
11. निदेशक, 'प्रिट' के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में हस्तांतरणीय नहीं होगा।
13. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न बी0ओ0क्यू0 में उल्लिखित सर्वाधिक कम दरों के अनुसार संस्था का चयन किया जायेगा।
14. केवल तकनीकी रूप से अर्ह संस्थाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
15. किसी वाद की स्थिति में लखनऊ न्यायालय का कार्य क्षेत्र मान्य होगा।
16. संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान में से नियमानुसार आयकर/अनुमन्यकर कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा दी गयी जानकारियों के सत्य के होने के संबंध मे रु0 50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(आकाश दीप)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
'प्रिट'

ई–निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र

1. संस्था का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन (प्रतिलिपि संलग्न करे)।
2. संस्था का वैध रजिस्ट्रेशन प्रपत्र संलग्न किया जाए।
3. संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में जमा किये गये आय कर के रिटर्न तथा पैन नं0 की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।
4. संस्था की विगत तीन वर्षो की चार्टेड एकाउन्टेन्ट से ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध करायी जाए।
5. संस्था द्वारा विगत 02 वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये गये समान प्रकृति के कार्यो के साक्ष्य संलग्न किये जाए।
6. संस्था इस तथ्य का शपथ पत्र संलग्न करे की संस्था/संचालक/साझीदार के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है तथा यदि पूर्व में किसी प्रकार की सजा या विधिक कार्यवाही, संस्था/संचालक/साझीदार के विरुद्ध हुई है तो उसका विवरण दें।
7. संस्था किसी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो।
8. पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संचालक/साझीदार द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये जाए।
9. धरोहर राशि के रूप में रू0–80,000/– आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से केनरा बैंक, अलीगंज, लखनऊ के खाता संख्या:–4962132000008 आई0एफ0एस0सी0 कोड–CNRB0004962 में जमा की जाए।